न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 171/2021 **दायर दिनांकः 04.10.2021**

उनवान

1. मोहनी बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि प्रेमबिहारी जाति लुहार निवासी दीवाली हाल निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. संतोष बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि हेमराज जाति लुहार निवासी दीवाली हाल निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां।
2. सागर आयु 19 वर्ष पुत्र गोकुल जाति लुहार निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

आदेश

दिनाकः / /2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2070 से 2073 एवं 2076 के अनुसार ग्राम एवं माल दीवाली तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 70 के ख0नं0 841 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 972 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 973 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 974 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 975 रकबा 0.12 है0 आराजी कुल किता 5 का रकबा 0.84 है0 भूमि स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 एवं 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादियागण के पिता भेरूलाल ने केसर बाई से विवाह किया था। केसर बाई वादियागण की माता थी। वादियागण की सौतेली माता दाखा

बाई पुत्री रामदयाल से विवाह किया था। वादियागण की सौतेली माता दाखा बाई ने केसर बाई के जीवित होने के कारण अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्धेश्य से दाखा बाई ने विवाह से पूर्व अपने नाम भूमि का बेचान करने की शर्त रखी। इस शर्त पर वादियागण के पिता भैरूलाल ने अपने खाते की भूमि दाखा बाई के नाम रजिस्ट्री करवा दी। जो वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि है। जो वादियागण की सौतेली माता दाखा बाई के दर्ज खाता चली आ रही थी। वादियागण की माता केसर बाई एवं पिता भैरूलाल का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन वादियागण की सौतेली माता दाखा बाई का स्वर्गवास दिनांक 08.07.2017 को हो गया है। वादियागण की सौतेली माता दाखा बाई से कोई संतान नहीं थी। वादियागण ने उनकी सौतेली माता दाखा बाई के स्वर्गवास के पश्चात उसके वारिसान एवं उत्तराधिकारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को माह सितम्बर 2019 में दाखा बाई के स्थान पर वादियागण के पक्ष में नामन्तरण दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू ने पटवारी हल्का को नामान्तरण दर्ज करने बाबत भेज दिया। लेकिन पटवारी हल्का ने आज दिनांक 30.09.2021 तक भी मृतक दाखा बाई के स्थान पर वादियागण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं किया। वाद पत्र की मद नं0 1 मं वर्णित भूमि के वादियागण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) एवं उपधारा 2(ख) के अनुसार हिन्दू नारी की मृत्यु की दशा में पति के वारिसों को भूमि प्राप्त होने के प्रावधान होते हुए भी पटवारी हल्का ने वादियागण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज न कर कानूनी भूल की है। वादियागण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के खातेदार कृषक होकर इस आशय की राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जाना कानूनन आवश्यक है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इंतजार किया गया तो वादियागण की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होने की संभावना है। जिससे वादियागण को अनेकानेक विवादो में उलझना पडेगा इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की हिदायत से वाद पेश है। वाद कारण प्रथम व अंतिम बार माह सितम्बर 2021 को वादियागण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम दीवाली तहसील अटरू में स्थित होने एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्रधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान टीनंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश

है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य हैं। अतः माननीय न्यायालय में दावा पेश कर वादियागण निवेदन करती है कि डिक्री बहक वायिागण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादि फरमाई जावे।

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल दीवाली तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 70 की भूमि का वादियागण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

(ब) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि बिन्दु नं. 1 स्वीकार है वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 70 ख0नं0 841, 972, 973, 974, 975 कुल किता 5 रकबा 0.84 है0 भूमि खातेदार दाखाबाई पत्नि भैरूलाल जाति लुहार सा0 देह खातेदार के नाम चली आ रही है। बिन्दु संख्या 2 को वादी स्वयं साबित करें। अतः बिन्दू न्यायिक है। बिन्दु संख्या 3 के संबंध में कथन है कि उक्त भूमि मृतक दाखाबाई के द्वारा विक्रय से नाम आयी थी जिसकी मृतका ने अपने जीवनकाल में वसीयत अनरजिस्टर्ड सागर पुत्र गोकुल प्रसाद जाति लुहार निवासी सुलतानपुर के पक्ष में की थी। बिन्दु संख्या 4 मृतका ने अपनी भूमि की वसीयत की हुई है इसलिए वसीयत ग्रहिता के पक्ष को सुना जाना भी उचित है। जो कि न्यायिक प्रक्रिया है। बिन्दु संख्या 5 न्यायिक है। बिन्दु संख्या 6 न्यायिक है। बिन्दु संख्या 7 न्यायिक है। बिन्दु संख्या 8 न्यायिक है। बिन्दु संख्या 9 न्यायिक है। मृतका दाखाबाई पत्नि भैरूलाल जाति लुहार ने अपने खातेदारी की भूमि की वसीयत अनरजिस्टर्ड सागर पुत्र गोकुल प्रसाद जाति लुहार निवासी सुल्तानपुर के पक्ष में की गई थी इसलिए उक्त प्रकरण में सागर पुत्र गोकुल प्रसाद का हित न्यायिक दृष्टि से प्रभावित होता है इसलिए न्यायिक दृष्टि से सागर पुत्र गोकुल प्रसाद को भी सुना जाना उचित होगा रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।

प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 में केसर बाई, भैरूलाल एवं दाखा बाई का स्वर्गवास होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है तथा

कथन है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के संदर्भ में वादियागण का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) एवं उप धारा 2(ख) लागू नहीं होती है इसलिए उक्त भूमि पर वादियागण खातेदार कृषक घोषित होने की अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 **7** कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। अनुतोष वादियागण अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र

वाके ग्राम एवं माल दिवाली तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 70 का ख0नं0 841 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 972 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 973 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 974 का रकबा 0.17 है0, ख0नं0 975 का रकबा 0.12 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 0.84 है0 आराजी खातेदार दाखा बाई पत्नि भेरूलाल जाति लुहार के दर्ज खाता स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 प्रतिवाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी 0.84 है0 की खातेदार दाखा बाई पत्नि भैरूलाल ने दिनांक 07.02.2012 को जर्ये रजिस्टर्ड बेनाम खरीद की है जो दाखा बाई की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं रजिस्टर्ड बेनामा की प्रति पूर्व में संलग्न कर दी है। खातेदार श्रीमति दाखा बाई ने अपने जीवनकाल में ही उक्त वर्णित 0.84 है0 आराजी का वसीयत नामा प्रतिवादी क्रम 2 सागर पुत्र श्री गोकुलप्रसाद जाति लुहार के पक्ष में दिनांक 10.05.2013 को आलेखित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया था। वसीयत नामा की प्रति पूर्व में संलग्न कर दी है। खातेदार श्रीमति दाखा बाई पत्नि भैरूलाल का स्वर्गवास दिनांक 08.07.2017 को प्रतिवादी क्रम 2 के पास हो गया है इसलिए दाखा बाई की मृत्यु होने से उसके द्वारा निष्पादित वसीयत नामा के आधार पर आराजी का एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रम 2 सागर है। वादियागण का उक्त 0.84 है0 आराजी पर कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि वादिया क्रम 1 की शादी ग्राम कुण्डी में 40 वर्ष पूर्व प्रेमबिहारी के साथ हो चुकी है तथा वादिया क्रम 2 सन्तोष बाई की शादी 35 वर्ष पूर्व ग्राम सहरोद में हेमराज के साथ हो चुकी है। वादियागण ने शादी होने के बाद कभी भी माता–पिता की सेवा नहीं की और न ही जमीन को काश्त किया। इसलिए वादियागण का वाद पत्र चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज होने योग्य है तथा प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर 0.84 है0 आराजी पर वसीयत नामा के आधार पर प्रतिवादी क्रम 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। जिसका प्रतिवादी क्रम 2 अधिकारी एवं नॉलिशी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पूर्व में संलग्न कर दी है।

प्रतिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादियागण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाकर प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाकर डिक्री बहक प्रतिवादी क्रम 2 विरूद्ध वादियागण निम्न आशय की सादि फरमाई जावेः–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल दिवाली तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 70 की कुल किता 5 का कुल रकबा 0.84 है0 पर प्रतिवादी क्रम 2 सागर को वसीयत नामा के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान की जावे।

3. वादियागण द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया कि जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 1 ता 6 में वर्णित तथ्य जिस तरह लिखे गए है स्वीकार नहीं है। जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 2 में वर्णित तथ्य जिस तरह लिखे गए है स्वीकार नहीं है। दाखा बाई वादीगण की सौतेली माता थी, वादीगण की माता केसर बाई के पुत्र संतान नहीं होने से वादियागण के पिता ने वादियागण की माता केसर बाई के जीवनकाल में ही दाखा बाई से नाता विवाह किया था। दाखा बाई ने नाता विवाह करने के पूर्व यह शर्त रखी थी कि उसके नाम कोई भूमि खाते बंधवावे इस शर्त पर वादियागण के पिता ने वादियागण की सौतेली माता दाखा बाई के नाम भूमि का पंजीयन करवाया था। जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 3 में वर्णित तथ्य जिस तरह लिखे गए है स्वीकार नहीं है। दाखा बाई ने सागर पुत्र गोकुल को गोद लिया था। इसलिए सागर वादियागण का सोतेला भाई है, उसके पक्ष में गोद लिए जाने के पश्चात दाखा बाई ने कोई वसीयत नहीं कराई है। प्रतिवादी क्रम 2 ने वादियागण के 2/3 हिस्से को हडपने की गरज से एक फर्जी वसीयत तैयार की है। सागर का आधार कार्ड और राशन कार्ड में निवास स्थान अलग अंकित है। जबकि वसीयत नामें में निवास स्थान अलग अंकित है। जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 4 में वर्णित तथ्य जिस तरह लिखे गए है स्वीकार नहीं है। वादिया क्रम 1 को उसके पति प्रेमबिहारी ने छोड रखा था तो वह अपनी असल माता के जीसनकाल तक उनके पास नही तथा

उनके स्वर्गवास के पश्चात उसकी सौतेली माता की देखभाल वादिया क्रम 1 ने की है। जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 5 में वर्णित तथ्य कानूनी है।

विशेष विवरण

प्रतिवादी क्रम 2 ने अपने जवाब दावे एवं प्रतिवाद पत्र में वाद कारण कब उत्पन्न हुआ अंकित नहीं किये जाने से वाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर जब तक सक्षम न्यायालय से अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करवा लेता है तब तक इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती। अतः माननीय न्यायालय में जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादियागण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पर खारिज फरमाया जावे।

4. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1–आया वादियागण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है।

वादियागण

तनकी नं0 2–आया प्रतिवादी क्रम 2 सागर वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित कराये बिना किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वादियागण

तनकी नं0 3–आया प्रतिवादी क्रम 2 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र खारिज होने योग्य है।

वादियागण

तनकी नं0 4–आया प्रतिवादी क्रम 2 वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का वसीयत के आधार पर खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है।

प्रतिवादी क्रम 2

5. साक्ष्यवादी के तहत PW1 से PW3 के शपथ पत्र पेश किये गये। PW1 संतोष बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नी हेमराज जाति लुहार हाल निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी संतोष बाई ने बताया कि ग्राम व माल दिवाली में मुताबिक वाद पत्र की मद नं0 1 के अनुसार भूमि स्थित चली आ रही है। जो पूर्व में मेरे पिता

भैरूलाल के खाते दर्ज थी मेरी माता केसर बाई के पुत्र संतान नहीं होने से मेरे पिता भैरूलाल ने मेरी सौतेली माता दाखा बाई से विवाह किया था मेरे पिता ने दाखा बाई द्वारा भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्धेश्य से मेरी सौतेली माता दाखा बाई के नाम जमीन खाते बंधा दी थी। मेरी माता केसर बाई एवं पिता भैरूलाल का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका था मेरी माता दाखा बाई का स्वर्गवास दिनांक 08.07.2017 को हो गया है। मैने एवं मेरी बहिन मोहनी बाई ने हमारी सौतेली माता दाखा बाई के खाते की भूमि पर श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने नामान्तरण दर्ज नहीं किया। मै शपथ पूर्वक बयान करती हूॅ कि मेरी सौतेली माता दाखा बाई ने सागर पुत्र गोकुल जाति लुहार को गोद लिया था जो हमारा भाई है। सागर के पक्ष में गोद लिये जाने के पश्चात दाखा बाई ने कोई वसीयत नहींकी थी। सागर ने भूमि हडपने के उद्धेश्य से एक फर्जी वसीयत तैयार की है मुझे व मेरी बहिन को वाद पत्र की मद नं0 1 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

जिरह अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर द्वारा जिरह की गई। जिरह में बताया कि ये बात सही है कि भेरूलाल ने केसर बाई से विवाह किया था, दाखा बाई भी मेरी मां है, जो भैरूलाल की पत्नि है। जमीन पांच बीघा है नंबर याद नहीं है ये बात सही है कि ये जमीन दाखा बाई के खाते है ये बात सही है कि दाखा बाई के जमीन विक्रय पत्र से आई है। मैं सागर को जानती हूॅ दाखा बाई ने जो वसीयत नामा बता रहे उसमें क्या लिखा है मुझे पता नहीं है लेकिन फोटो दाखा बाई का एवं सागर की है में बिना पढी लिखी हूॅ। सागर दाखा बाई के पास नहीं रहा कोटा रहता है। दाखा बाई अकेली ही रहती थी। सागर दाखा बाई को दवाई गोली लाकर नहीं देता था। दाखा बाई दिवाली में मरी थी सागर के घर पर नहीं मरी दाखा बाई की मृत्यु को लगभग चार–पांच साल हो गये । ये बात सही है कि मोहनी बाई का विवाह लगभग चालीस बाई पूर्व ग्राम कुण्डी में प्रेमबिहारी के साथ हुआ था। मोहनी बाई बीस साल तक कुण्डी रही व पागल होने के बाद दिवाली में अलग से रहती थी ये बात सही है कि मेरा विवाह लगभग 35 वर्ष पूर्व ग्राम सहरोद में हेमराज जी के साथ हुआ है मैं शादी हुई तब से ग्राम सहरोद में रहती हूॅ **ये बात सही है कि शादी के बाद मैंने और मोहनी बाई ने कभी काश्त नहीं किया।**

PW2 बलराम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी दिवाली तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी बलराम ने बताया कि मैने भैरूलाल लुहार निवासी दिवाली की जमीन देखी है जो लगभग 5–6 बीघा करीब है मोहनी बाई एवं संतोष भैरूलाल की लडकियां है भैरूलाल लुहार के पहली पत्नी केसर बाई थी जिससे मोहनी बाई संतोष बाई का जन्म हुआ है।

भैरूलाल के लडका नहीं होने से उसने दाखा बाई से दुसरा विवाह किया था। दाखा बाई के भैरूलाल ने ही अपने खाते की जमीन खाते बन्धवाई थी भेरूलाल केसर बाई एवं दाखा बाई का स्वर्गवास हो चुका है। मोहनी बाई संतोष बाई दाखा बाई की सौतेली पुत्रीयां होने से भूमि खाते दर्ज करवाने की अधिकारणी है। इस भूमि को कभी–कभी मोहनी बाई व संतोष बाई मुनाफे से जुपवाती है तथा कभी कभी सागर का पिता गोकुल मुनाफे से जुपवाते है।

जिरह अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर द्वारा जिरह की गई। साक्ष्यवादी ने जिरह में बताया कि भैरूलाल के खाते में पांच बीघा जमीन थी। भैरूलाल ने दाखाबाई के रजिस्ट्री करवादी हो हमे पता नहीं है ये बात सही है कि भैरूलाल के दो पत्नियां थी केसरबाई व दाखा बाई दोनों के लडके नहीं थे, केसरबाई के दो लडकियां थी में गोकुल को जानता हूॅ सागर को नहीं जानता दाखा बाई की मृत्यु लगभग चार पांच साल पहले हुई है मैने शपथ पत्र नहीं पढा इसमें क्या लिखा है में पढकर बता सकता हूॅ मैने सुना था कि कभी कभी गोकुल जो सागर का पिता है दाखा बाई की जमीन मुनाफे से जुपाता था ये बात सही है कि मोहनी बाई व संतोष बाई का विवाह हो चुका है मोहनीबाई व संतोष बाई का विवाह हो चुका है मोहनीबाई का ग्राम कुण्डी में प्रेमबिहारी के साथ व सन्तोष बाई का ग्राम सहरोद में हेमराज के साथ हुआ है ये बात सही है कि दोनों बहिनें मोहनीबाई संतोष बाई शादी के बाद से ही ससुराल रह रही है। दोनों बहिनों ने इस जमीन को स्वयं काश्त नहीं किया मुनाफे से जुपाते थे। मोहनीबाई पागल होने के बाद दिवाली आ गई थी। दाखाबाई व मोहनी बाई दोनों अलग अलग रहती थी।

PW3 शिशुपाल पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी दिवाली तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी छीतरलाल ने बताया कि मैने भैरूलाल लुहार निवासी दिवाली की जमीन देखी है जो लगभग 5–6 बीघा करीब है मोहनी बाई एवं संतोष बाई, भैरूलाल की पुत्रीयां है। भैरूलाल लुहार की पहली पत्नी केसर बाई थी जिससे मोहनी बाई, संतोष बाई का जन्म हुआ है। भैरूलाल के लडका नहीं होने से उसने दाखा बाई से दूसरा विवाह किया था। दाखा बाई के भैरूलाल ने ही अपने खाते की जमीन खाते बन्धवाई थी भेरूलाल, केसर बाई एवं दाखा बाई का स्वर्गवास हो चुका है। मोहनी बाई, संतोष बाई, दाखा बाई की सौतेली पुत्रीयां होने से भूमि खाते दर्ज करवाने की अधिकारणी है। इस भूमि को कभी–कभी मोहनी बाई व संतोष बाई मुनाफे से जुपवाती है। तथा कभी कभी सागर का पिता गोकुल मुनाफे से जुपवाते है।

जिरह अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर द्वारा जिरह की गई। जिरह में साक्ष्यवादी ने बताया कि ये बात सही है कि भैरूलाल के दो पत्नियां केसरबाई व दाखा बाई थी ये सही है कि

दिवाली की जमीन दाखा बाई के नाम थी। ये सही है कि दोनों पत्नियों से कोई पुत्र सन्तान नहीं था केसरबाई की दो लडकियां मोहनीबाई सन्तोष बाई है। ये सही है कि भैरूलाल ने जमीन की रजिस्ट्री दाखा बाई के करवाई थी। मोहनी बाई का विवाह लगभग 40 वर्ष पूर्व ग्राम कुण्डी में प्रेमबिहारी के साथ किया था तथा संतोष का विवाह ग्राम सहरोद में लगभग 35 वर्ष पूर्व हुआ था। मोहनी बाई विवाह के दो पांच साल बाद दिवाली में आकर रहती थी, पर वो पागल हो गई थी जो दाखा बाई से अलग रहती थी, दोनों बहिनों ने शादी होने के बाद काश्त नहीं किया क्योंकि माता पिता करते थे। मैं गोकुल को जानता हूॅ सागर को में नहीं जानता, दाखा के स्वर्गवास के बाद जमीन को गोकुल प्रसाद जुपाता आ रहा है।

6. साक्ष्य प्रतिवादी के तहत DW1 से DW3 के शपथ पत्र पेश किये गये। DW1 गोकुल प्रसाद पुत्र राधेश्याम आयु 50 वर्ष जाति लुहार निवासी सुल्तानपुर तहसील दिगोद जिला कोटा ने सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम व माल दिवाली की विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 खातेदार दाखा बाई पत्नी भैरूलाल लुहार के खाते दर्ज चली आ रही है। दाखा बाई ने उक्त वर्णित आराजी रकबा 0.84 है0 को जरिए रजिस्टर्ड बेनामा से दिनांक 07.02.2012 को खरीद किया था। अतः विवादित आराजी दाखा बाई की स्वअर्जित सम्पति है। आगे सशपथ बयान किया कि खातेदार दाखा बाई ने अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित आराजी की वसीयत जरिए नोटेराईज्ड वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 मेरे सामने तस्दीक करवाकर मेरे पुत्र सागर के पक्ष में की थी जिस पर गवाह के रूप में मेने, चन्द्रप्रकाश राठौर व महेन्द्र कुमार सुमन ने हस्ताक्षर किए थे। खातेदार दाखा बाई पत्नी भैरूलाल का स्वर्गवास दिनांक 08.07.2017 को मेरे पुत्र सागर के पास हो गया था। अतः दाखा बाई की मृत्यु होने के बाद उसके बाद निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर सागर ही एकमात्र उत्तराधिकारी है। वादियागण का उक्त विवादित आराजी पर कोई कानूनी हक व अधिकार नही है क्योकिं वादिया क्रम 1 मोहनी बाई की शादी ग्राम कुण्डी में प्रेमबिहारी के साथ करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है जबकि वादिया क्रम 2 संतोष बाई की शादी करीब 35 वर्ष पूर्व सहरोद निवासी हेमराज के साथ हो चुकी है। वादियागण शादी के बाद से अपने ससुराल रह रही है, शादी के बाद वादियागण ने कभी भी माता–पिता की सेवा नही की और कभी भी विवादित आराजी को काश्त नही किया इसलिए उक्त विवादित आराजी रकबा 0.84 है0 पर नोटेराईज्ड वसीयतनामा के आधार पर सागर को खातेदार कृषक किया जावें। साक्ष्य गवाह DW1 ने जिरए के दौरान खातेदार दाखा बाई की भैरूलाल से विवाह होना और विवाह उपरान्त

दाखा बाई व भैरूलाल द्वारा सागर पुत्र गोकुल लुहार को गोद लिया जाना स्वीकार किया है और वसीयत स्वयं के समक्ष तस्दीक होना स्वीकार किया है।

DW2 महेन्द्र कुमार सुमन पुत्र नाथुलाल माली आयु 50 वर्ष निवासी दिवाली तहसील अटरू जिला बारां ने सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम व माल दिवाली की विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 खातेदार दाखा बाई पत्नी भैरूलाल लुहार के खाते दर्ज चली आ रही है। दाखा बाई ने उक्त वर्णित आराजी रकबा 0.84 है0 को जरिए रजिस्टर्ड बेनामा से दिनांक 07.02.2012 को खरीद किया था। अतः विवादित आराजी दाखा बाई की स्वअर्जित सम्पति है। आगे सशपथ बयान किया कि खातेदार दाखा बाई ने अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित आराजी की वसीयत जरिए नोटेराईज्ड वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 मेरे सामने तस्दीक करवाकर सागर के पक्ष में की थी जिस पर गवाह के रूप में मेने, चन्द्रप्रकाश राठौर व गोकुल प्रसाद ने हस्ताक्षर किए थे। खातेदार दाखा बाई पत्नी भैरूलाल का स्वर्गवास दिनांक 08. 07.2017 को सागर के पास हो गया था। अतः दाखा बाई की मृत्यु होने के बाद उसके बाद निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर सागर ही एकमात्र उत्तराधिकारी है। वादियागण का उक्त विवादित आराजी पर कोई कानूनी हक व अधिकार नही है क्योकिं वादिया क्रम 1 मोहनी बाई की शादी ग्राम कुण्डी में प्रेमबिहारी के साथ करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है जबकि वादिया क्रम 2 संतोष बाई की शादी करीब 35 वर्ष पूर्व सहरोद निवासी हेमराज के साथ हो चुकी है। वादियागण शादी के बाद से अपने ससुराल रह रही है, शादी के बाद वादियागण ने कभी भी माता–पिता की सेवा नही की और कभी भी विवादित आराजी को काश्त नही किया इसलिए उक्त विवादित आराजी रकबा 0.84 है0 पर नोटेराईज्ड वसीयतनामा के आधार पर सागर को खातेदार कृषक किया जावें। साक्ष्य गवाह DW2 ने जिरए के दौरान खातेदार दाखा बाई की भैरूलाल से विवाह होना और विवाह उपरान्त दाखा बाई व भैरूलाल द्वारा सागर पुत्र गोकुल लुहार को गोद लिया जाना स्वीकार किया है और वसीयतनामा स्वयं के समक्ष वकील द्वारा लिखा/टाईप किया जाना स्वीकार किया है।

DW3 चन्द्रप्रकाश राठौर पुत्र गणेशराम तेली आयु 68 वर्ष निवासी लंका कोलोनी, बारां ने सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम व माल दिवाली की विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 खातेदार दाखा बाई पत्नी भैरूलाल लुहार के खाते दर्ज चली आ रही है। दाखा बाई ने उक्त वर्णित आराजी रकबा 0.84 है0 को जरिए रजिस्टर्ड बेनामा से

दिनांक 07.02.2012 को खरीद किया था। अतः विवादित आराजी दाखा बाई की स्वअर्जित सम्पति है। आगे सशपथ बयान किया कि खातेदार दाखा बाई ने अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित आराजी की वसीयत जरिए नोटेराईज्ड वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 मेरे सामने तस्दीक करवाकर सागर के पक्ष में की थी जिस पर गवाह के रूप में मेने, महेन्द्र कुमार सुमन व गोकुल प्रसाद ने हस्ताक्षर किए थे। खातेदार दाखा बाई पत्नी भैरूलाल का स्वर्गवास दिनांक 08.07.2017 को सागर के पास हो गया था। अतः दाखा बाई की मृत्यु होने के बाद उसके बाद निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर सागर ही एकमात्र उत्तराधिकारी है। वादियागण का उक्त विवादित आराजी पर कोई कानूनी हक व अधिकार नही है क्योकिं वादिया क्रम 1 मोहनी बाई की शादी ग्राम कुण्डी में प्रेमबिहारी के साथ करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है जबकि वादिया क्रम 2 संतोष बाई की शादी करीब 35 वर्ष पूर्व सहरोद निवासी हेमराज के साथ हो चुकी है। वादियागण शादी के बाद से अपने ससुराल रह रही है, शादी के बाद वादियागण ने कभी भी माता–पिता की सेवा नही की और कभी भी विवादित आराजी को काश्त नही किया इसलिए उक्त विवादित आराजी रकबा 0.84 है0 पर नोटेराईज्ड वसीयतनामा के आधार पर सागर को खातेदार कृषक किया जावें। साक्ष्य गवाह DW3 ने जिरए के दौरान खातेदार दाखा बाई व भैरूलाल द्वारा किसी बच्चे को गोद लिया जाना स्वीकार किया है और वसीयतनामा लिखा जाना स्वीकार किया है।

7. अभिभाषक वादियागण एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर पत्रावली का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

<u>तनकी नं0 1</u>– आया कि वादियागण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादियागण पर था। अभिभाषक वादियागण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादियागण मृतक खातेदार दाखा बाई पत्नी भैरूलाल की सोतेली पुत्रिया (Step daughters) है। अतः दाखा बाई की मृत्यु के बाद विवादित आराजी में वादियागण का दाखा बाई के पुत्र सागर लुहार के साथ 1/3–1/3 हिस्से पर हक व अधिकार बनता है। अतः वादियागण को उनकी सोतेली मां (Step mother) के खाते की विवादित आराजी खाता संख्या

70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, की धारा 15(1) के अनुसार 2/3 भाग पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा अभिभाषक वादियागण की उक्त बहस का कडा विरोध करते हुए कथन किया कि ग्राम दिवाली के विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 रकबा 0.84 है0 को खातेदार दाखा बाई द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2012 को भैरूलाल लुहार से क्रय किया था। अतः विवादित आराजी दाखा बाई की स्वअर्जित सम्पति है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार विवादित आराजी हिन्दू महिला दाखा बाई की Absolute Property है जिस पर खातेदार दाखा बाई की Full ownership है न कि Limited ownership है। अतः खातेदार हिन्दू महिला दाखा बाई अपनी उक्त सम्पति का अपनी इच्छानुसार अन्तरण–बैचान, वसीयत, दान, रहन आदि करने की पूर्ण अधिकारी है। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा आगे तर्क किया कि खातेदार दाखा बाई एवं उसके पति भैरूलाल द्वारा जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 10.06.2010 को गोकुल प्रसाद एवं उनकी पत्नी सीमा बाई से उनके पुत्र सागर को गोद लिया और उसका पालन–पोषण किया। अतः खातेदार दाखा बाई की स्वअर्जित विवादित आराजी पर केवल उनके एकमात्र पुत्र सागर लुहार का कानूनी हक व अधिकार है। वादियागण खातेदार दाखा बाई की सोतेली पुत्रिया है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, की धारा 15(1) में पुत्र व पुत्री की परिभाषा में सोतेले पुत्र व सोतेली पुत्री को शामिल नही किया गया है। अतः सोतेली मां दाखा बाई की स्वअर्जित सम्पति में उसकी सोतेली पुत्रियों का कोई कानूनी हक व अधिकार निहित नही है। दाखा बाई की सम्पूर्ण सम्पति पर सिर्फ उनके पुत्र सागर के ही हक व अधिकार है। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 ने पुनः तर्क किया कि मृतक खातेदार दाखा बाई द्वारा अपनी स्वअर्जित विवादित आराजी को अपनी इच्छा से 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर जरिए नोटेराईज्ड वसीयतनामा वसीयत की है। अपनी क्रय की गई स्वअर्जित सम्पति को वसीयत करने का खातेदार दाखा बाई को पूर्ण हक व अधिकार था। अतः वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का एकमात्र कानूनी अधिकारी प्रतिवादी क्रम 2 सागर लुहार है। **अतः ग्राम दिवाली की विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रम 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जावें और वादियागण का वाद मेन्टेनेबल नही होने से खारिज फरमाया जावें।**

उपरोक्त बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम दिवाली की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 एवं 2073–2076 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 मृतक दाखा बाई पत्नी भैरूलाल की खाते दर्ज रिकार्ड है। वादपत्र एवं जवाब उल जवाब में वादियागण ने स्वयं स्वीकार किया है कि विवादित आराजी को दाखा बाई द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भैरूलाल लुहार से क्रय किया था। प्रतिवादी क्रम 1 ने अपना जवाबदावा दिनांक 31.12.2021 के मद क्रम 3 में स्वीकार किया है कि ग्राम दिवाली की विवादित आराजी दाखा बाई के खाते जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आयी है। प्रतिवादी क्रम 2 ने भी अपना जवाबदावा में स्वीकार किया है कि ग्राम दिवाली की विवादित आराजी दाखा बाई द्वारा दिनांक 07.02.2012 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भैरूलाल से क्रय की थी। इस संबंध में पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2012 प्रदर्स ए–2 का भी अवलोकन किया गया।

उपरोक्त वादपत्र, जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र, जवाब सरकार, जवाब उल जवाब, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व अन्य प्रार्थना पत्रों के आधार पर सहमति से यह तथ्य साबित होता है कि ग्राम दिवाली की विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि दाखा बाई द्वारा दिनांक 07.02.2012 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्स–ए2 क्रय की थी और इसलिए यह दाखा बाई की स्वअर्जित सम्पति होगी। इसी प्रकार वादियागण द्वारा पेश वाद पत्र, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के जवाब दावे मय प्रतिवाद पत्र, जवाब उल जवाब व पेश अन्य प्रार्थना पत्रों के आधार पर यह तथ्य भी साबित होता है कि वादियागण खातेदार दाखा बाई की सोतेली पुत्रियां (Step daughters) है।

अब प्रश्न है कि ग्राम दिवाली की विवादित स्वअर्जित आराजी पर खातेदार दाखा बाई के हक व अधिकार क्या होंगे? एक हिन्दू महिला की स्वयं की सम्पति में उसके हक व अधिकारों को समझने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 14 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैः– Section 14 – "Property of a female Hindu to be her absolute property- (1) Any Property possessed by a female hindu, weather acquired before or after the commencement of this act, shall be held why her as full owner thereof and not as a limited owner".

Explaination- In this sub section, "Property" includes both movable and inmovable property acquired by a female hindu by inheritance or device, or at a partition, or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, or by gift from any person, whether relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as stridhana immediately before the commencement of this act.

इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार ग्राम दिवाली की विवादित आराजी मृतक खातेदार दाखा बाई की absolute property है जिस पर दाखा बाई की Full ownership है न कि Limited ownership है और एक हिन्दू महिला को उसकी Full ownership वाली absolute property को अपनी इच्छानुसार अन्तरण–बैचान, वसीयत, दान, रहन आदि करने की पूर्ण अधिकार है। अतः दाखा बाई को उक्त विवादित आराजी को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पेश नोटेराईज्ड वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 प्रदर्स ए–1 के ध्यानपूर्वक अवलोकन से जाहिर है कि दाखा बाई पत्नी भैरूलाल लुहार द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पति को तीन गवाहों की उपस्थिति में अपने एकमात्र पुत्र सागर के पक्ष में वसीयत की है जिसके संबंध में तीनों गवाहों ने शपथ पत्र पेश किये है। उक्त वसीयतनामा को पब्लिक नोटेरी द्वारा तस्दीक किया गया है। यह भी सुस्थापित तथ्य है कि भारतीय कानून के अनुसार किसी वसीयतनामा का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है। कोई भी वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल में कभी भी किसी व्यक्ति/संस्था के पक्ष में स्वैच्छा से अपनी सम्पति को सामान्य पेपर पर या रजिस्टर्ड दस्तावेज पर वसीयत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि किसी वसीयत में वसीयतकर्ता की इच्छा (Intention) सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होती है, न कि उस वसीयत का रजिस्टर्ड होना या न होना।

प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा पेश रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 10.06.2010 के अनुसार मृतक खातेदार दाखा बाई व उसके पति भैरूलाल द्वारा मिलकर गोकुल प्रसाद व सीमा बाई के पुत्र प्रतिवादी क्रम 2 सागर को गोद लिया था। प्रतिवादी क्रम 2 को गोद लिये जाने का उल्लेख दाखा बाई द्वारा अपने वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 में भी किया गया है। वादियागण द्वारा

अपने जवाब उल जवाब व जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रतिवादी कम 2 सागर को दाखा बाई द्वारा गोद लिया जाना स्वीकार किया है। ***उपरोक्त आधार पर यह तथ्य साबित होता है कि प्रतिवादी कम 2 सागर लुहार, दाखा बाई का पुत्र है।***

एक हिन्दू महिला की निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसकी सम्पति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1)(अ) के अनुसार उसके पुत्र, पुत्री एवं पति में निहित होगी, जिसका शेयर निर्धारण धारा 16(1) के अनुसार किया जायेगा। दाखा बाई के पति की मृत्यु दाखा बाई के जीवनकाल में पहले ही हो चुकी थी। ***धारा 15(1)(अ) में पुत्र व पुत्री की Purview (परिभाषा) में सोतेले पुत्र या सोतेली पुत्री (Step son or daughter) नही आते है और इसलिए किसी हिन्दू महिला की सम्पति में उसके सोतेले पुत्र या पुत्रियों का कोई कानूनी हक व अधिकार नही होता है।*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में इस तथ्य को अभिनिर्धारित किया जा चुका है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, अनुसार ग्राम दिवाली की विवादित आराजी में खातेदार दाखा बाई की मृत्यु के बाद केवल उसके पुत्र सागर का ही हक व अधिकार होगा सोतेली पुत्रियों/वादियागण का कोई भी कानूनी अधिकार नही होगा।

प्रतिवादी कम 2 द्वारा पेश नोटेराईज्ड वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 प्रदर्स–1 ए के अनुसार खातेदार दाखा बाई द्वारा **अपनी स्वअर्जित सम्पति/विवादित आराजी** खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 की तीन गवाहों की उपस्थिति में अपने पुत्र सागर/प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में वसीयत की गई है। खातेदार दाखा बाई की दिनांक 08.07.2017 को स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त वसीयत प्रभावी हो चुकी है और हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, की धारा 30(1) के अनुसार विवादित आराजी का हक व अधिकार प्रतिवादी कम 2 में निहित हो चुका है। धारा 30(1) के प्रावधान निम्नानुसार हैः– Section 30- Testamentary succession- (1) "Any hindu may dispose of by will or other testamentary disposition any property, which is capable of being so disposed of by him in according with the provision of Indian succession act, 1925 or any other law for the time being in force and applicable to Hindus".

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 1 वादियागण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2– आया कि प्रतिवादी क्रम 2 सागर वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित कराये बिना किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसे साबित करने का भार वादियागण पर था। अभिभाषक वादियागण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 2 यदि वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित कराना होगा। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा अभिभाषक वादियागण की बहस का कडा विरोध करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 2 को खातेदार दाखा बाई व उसके पति भैरूलाल लुहार द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 10.06.2010 से गोद लिया है। अतः प्रतिवादी क्रम 2 The Hindi adoption and maintenance act, 1956 के अनुसार स्वतः ही खातेदार दाखा बाई का पुत्र है और इसलिए उसे किसी भी न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित कराने की कोई कानूनी आवश्यकता नही है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा श्रीमान के न्यायालय में उत्तराधिकार की घोषणा हेतु नही बल्कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रतिवाद पत्र पेश किया है और खातेदारी अधिकारों की घोषणा राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। खातेदार दाखा बाई द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत कर उसे पब्लिक नोटेरी से तस्दीक करवाया है और वसीयत के आधार पर कोई भी व्यक्ति/संस्था, भले ही वह वसीयतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी है या नही –वसीयत की गई सम्पति का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। अतः वादियागण का वाद खारिज फरमाकर प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जावे और प्रतिवादी क्रम 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अभिभाषक वादियागण एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा वसीयतनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रतिवाद पत्र पेश किया गया है। रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 10.06.2010 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 "The Hindi adoption and maintenance act, 1956" के अनुसार स्वतः ही खातेदार दाखा बाई का पुत्र है और इसलिए उसे किसी भी न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित कराने की कोई कानूनी आवश्यकता नही है। यह स्थापित तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पति को नियमानुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को वसीयत कर सकता है और ऐसा व्यक्ति/संस्था वसीयत के आधार पर वसीयत की गई सम्पति का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, उसे किसी न्यायालय से वसीयतकर्ता का उत्तराधिकारी घोषित कराने की कोई कानूनी आवश्यकता नही है।

तनकी नम्बर 1 व 2 मे किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 2 वादियागण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3– आया कि प्रतिवादी क्रम 2 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र खारिज होने योग्य है। इसे साबित करने का भार वादियागण पर था। तनकी नम्बर 1 व 2 में किये गये विवेचन, विश्लेषण एवं निर्णय के आधार पर तनकी नम्बर 3 वादियागण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4– आया कि प्रतिवादी क्रम 2 वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का वसीयत के आधार पर खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। इसे साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 पर था। उपरोक्त बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम दिवाली की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 एवं 2073–2076 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 मृतक दाखा बाई पत्नी भैरूलाल की खाते दर्ज रिकार्ड है। वादपत्र एवं जवाब उल जवाब में वादियागण ने स्वयं स्वीकार किया है कि विवादित आराजी को दाखा बाई द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भैरूलाल लुहार से क्रय किया था। प्रतिवादी क्रम 1 ने अपना जवाबदावा दिनांक 31.12.2021 के मद क्रम 3 में स्वीकार किया है कि ग्राम दिवाली की विवादित आराजी दाखा बाई के खाते जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आयी है। प्रतिवादी क्रम 2 ने भी अपना जवाबदावा में स्वीकार किया है कि ग्राम दिवाली की विवादित आराजी दाखा बाई द्वारा दिनांक 07.02.2012 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भैरूलाल से क्रय की थी। इस संबंध में पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2012 प्रदर्स ए–2 का भी अवलोकन किया गया। उपरोक्त वादपत्र, जवाबदावा, जवाब उल जवाब, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व अन्य प्रार्थना पत्रों के आधार पर सहमति से यह तथ्य साबित होता है कि ग्राम दिवाली की विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि दाखा बाई द्वारा दिनांक 07.02.2012 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी और इसलिए यह दाखा बाई की स्वअर्जित सम्पति होगी। इसी प्रकार वादियागण द्वारा पेश वाद पत्र, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के जवाब दावे, जवाब उल जवाब व पेश अन्य प्रार्थना पत्रों के आधार पर यह तथ्य भी साबित होता है कि वादियागण खातेदार दाखा बाई की सोतेली पुत्रियां (Step daughters) है।

अब प्रश्न है कि ग्राम दिवाली की विवादित स्वअर्जित आराजी पर खातेदार दाखा बाई के हक व अधिकार क्या होंगे? एक हिन्दू महिला की स्वयं की सम्पति में उसके हक व अधिकारों को समझने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 14 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैः– Section 14 – "Property of a female Hindu to be her absolute property- (1) Any Property possessed by a female hindu, weather acquired before or after the commencement of this act, shall be held why her as full owner thereof and not as a limited owner".

Explaination- In this sub section, "Property" includes both movable and inmovable property acquired by a female hindu by inheritance or device, or at a partition, or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, or by gift from any person, whether relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as stridhana immediately before the commencement of this act.

इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार ग्राम दिवाली की विवादित आराजी मृतक खातेदार दाखा बाई की absolute property है जिस पर दाखा बाई की Full ownership है न कि Limited ownership है और एक हिन्दू महिला को उसकी Full ownership वाली absolute property को अपनी इच्छानुसार अन्तरण–बैचान, वसीयत, दान, रहन आदि करने की पूर्ण अधिकार है। अतः दाखा बाई को उक्त विवादित आराजी को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। प्रतिवादी कम 2 द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पेश नोटेराईज्ड वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 प्रदर्स ए–1 के ध्यानपूर्वक अवलोकन से जाहिर है कि दाखा बाई पत्नी भैरूलाल लुहार द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पति को तीन गवाहों की उपस्थिति में अपने एकमात्र पुत्र सागर के पक्ष में वसीयत की है जिसके संबंध में तीनों गवाहों ने शपथ पत्र पेश किये है। उक्त वसीयतनामा को पब्लिक नोटेरी द्वारा तस्दीक किया गया है। यह भी सुस्थापित तथ्य है कि भारतीय कानून के अनुसार किसी वसीयतनामा का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है। कोई भी वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल में कभी भी किसी व्यक्ति/संस्था के पक्ष में स्वैच्छा से अपनी सम्पति

को सामान्य पेपर पर या रजिस्टर्ड दस्तावेज पर वसीयत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि किसी वसीयत में वसीयतकर्ता की इच्छा (Intention) सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होती है, न कि उस वसीयत का रजिस्टर्ड होना या न होना।

प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा पेश रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 10.06.2010 के अनुसार मृतक खातेदार दाखा बाई व उसके पति भैरूलाल द्वारा मिलकर गोकुल प्रसाद व सीमा बाई के पुत्र प्रतिवादी क्रम 2 सागर को गोद लिया था। प्रतिवादी क्रम 2 को गोद लिये जाने का उल्लेख दाखा बाई द्वारा अपने वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 में भी किया गया है। वादियागण द्वारा अपने जवाब उल जवाब व जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रतिवादी क्रम 2 सागर को दाखा बाई द्वारा गोद लिया जाना स्वीकार किया है। उपरोक्त आधार पर यह तथ्य साबित होता है कि प्रतिवादी क्रम 2 सागर लुहार, दाखा बाई का पुत्र है।

एक हिन्दू महिला की निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसकी सम्पति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1)(अ) के अनुसार उसके पुत्र, पुत्री एवं पति में निहित होगी, जिसका शेयर निर्धारण धारा 16(1) के अनुसार किया जायेगा। दाखा बाई के पति की मृत्यु दाखा बाई के जीवनकाल में पहले ही हो चुकी थी। ***धारा 15(1)(अ) में पुत्र व पुत्री की Purview (परिभाषा) में सोतेले पुत्र या सोतेली पुत्री (Step son or daughter) नही आते है और इसलिए किसी हिन्दू महिला की सम्पति में उसके सोतेले पुत्र या पुत्रियों का कोई कानूनी हक व अधिकार नही होता है।*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में इस तथ्य को अभिनिर्धारित किया जा चुका है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, अनुसार ग्राम दिवाली की विवादित आराजी में खातेदार दाखा बाई की मृत्यु के बाद केवल उसके पुत्र सागर का ही हक व अधिकार होगा सोतेली पुत्रियों/वादियागण का कोई भी कानूनी अधिकार नही होगा।

प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा पेश नोटेराईज्ड वसीयतनामा दिनांक 10.05.2013 प्रदर्स–1 ए के अनुसार खातेदार दाखा बाई द्वारा **अपनी स्वअर्जित सम्पति/विवादित आराजी** खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 की तीन गवाहों की उपस्थिति में अपने पुत्र सागर/प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में वसीयत की गई है। खातेदार दाखा बाई की दिनांक 08.07.2017 को स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त वसीयत प्रभावी हो चुकी है और हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, की धारा 30(1) के अनुसार विवादित आराजी का हक व अधिकार प्रतिवादी क्रम 2 में निहित हो चुका है। धारा 30(1) के प्रावधान निम्नानुसार हैः– Section 30- Testamentary succession- (1) "Any

hindu may dispose of by will or other testamentary disposition any property, which is capable of being so disposed of by him in according with the provision of Indian succession act, 1925 or any other law for the time being in force and applicable to Hindus".

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 4 प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर ग्राम दिवाली की विवादित आराजी खाता संख्या 70 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 पर वादियागण का वाद खारिज किये जाने और प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादियागण का वाद खारिज किया जाता है और प्रतिवादी क्रम 2 सागर का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम व माल दिवाली तहसील अटरू की विवादित आराजी खाता संख्या 70 ख0नं0 841 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 972 रकबा 0.38 है0, ख0न0 973 रकबा 0.05 है0, ख0न0 974 रकबा 0.17 है0 व ख0न0 975 रकबा 0. 12 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि पर प्रतिवादी क्रम 2 सागर पुत्र गोकुलप्रसाद दत्तक पुत्र भैरूलाल जाति लुहार निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक / /2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 171/2021 **दायर दिनांकः 04.10.2021**

उनवान

1. मोहनी बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि प्रेमबिहारी जाति लुहार निवासी दीवाली हाल निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. संतोष बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि हेमराज जाति लुहार निवासी दीवाली हाल निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां।
2. सागर आयु 19 वर्ष पुत्र गोकुल जाति लुहार निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादियागण का वाद खारिज किया जाता है और प्रतिवादी क्रम 2 सागर का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम व माल दिवाली तहसील अटरू की विवादित आराजी खाता संख्या 70 ख0नं0 841 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 972 रकबा 0.38 है0, ख0न0 973 रकबा 0.05 है0, ख0न0 974 रकबा 0.17 है0 व ख0न0 975 रकबा 0.12 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि पर प्रतिवादी क्रम 2 सागर पुत्र गोकुलप्रसाद दत्तक पुत्र भैरूलाल जाति लुहार निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.10.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)